(3)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरा नं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.–074423258

RRCMS NO.-202603119600038

मिसल नम्बर–59 / 2025

1.पप्पूलाल सुमन आयु 50 वर्ष पुत्र श्री बैधनाथ सुमन

2.चन्दाबाई सुमन आयु 52 वर्ष पुत्री श्री बैधनाथ सुमन

3.महावीर सुमन आयु 48 वर्ष पुत्र श्री बैधनाथ सुमन

4.अनीता बाई आयु 43 वर्ष पुत्री श्री बैधनाथ सुमन जाति माली निवासीगण बालापुरा कुन्हाड़ी कोटा राज0

प्रार्थीगण।

बनाम

1.दुर्गाशंकर सुमन पुत्र स्व0 श्री प्रभुलाल जी सुमन निवासी बालापुरा कुन्हाड़ी कोटा हाल निवासी गिरधरपुरा चौराहा, सुमन कोलोनी कोटा राज0

2.राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान।

3.राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर कोटा।

अप्रार्थीगण।

–:निर्णयः–

(राजस्थान भू–राजस्वअधिनियम 1956 की धारा 131, 136 के तहत् प्रार्थनापत्र।)

दिनांक 15/4/26

उपस्थितिः–

1. प्रार्थी अधिवक्ता श्री दीपक कलवार
2. अप्रार्थी क्रम 1 स्वयं उप0।
3. सरकार पेरोकार।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 इस बाबत् प्रस्तुत किया गया है कि पत्रावली आदेश वास्ते पेश हुई। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने निवेदन किया है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी क्रम 1 एक ही परिवार की सन्ताने है व स्व0 श्री रामकिशन जी माली के वंश वृक्ष के अनुसार उनके पुत्रों में आपसी सहमति से बराबर बराबर विभाजित अंश के अनुसार वर्तमान में अपने अपने अंश पर पृथक पृथक काबिज हैं जो ग्राम अरण्डखेड़ा पटवार हल्का अरण्डखेड़ा भू0अ0नि0 अरण्डखेड़ा तहसील लांडपुरा जिला कोटा में स्थित है। वर्तमान में प्रार्थीगण खसरा संख्या 1794 की रकबा 1.37 हैंक्टेयर, खसरा संख्या 276 की 0.11 हैक्टेयर, खसरा संख्या 277 की 0.10 हैक्टेयर, खसरा संख्या 278 की 0.26 हैक्टेयर, खसरा संख्या 503 की 1.19 हैक्टेयर कुल किता 5 रकबा 3.03 हैक्टेयर पर वर्तमान में संयुक्त खातेदार की

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी कोटा

हैसियत से मालिक काबिज व काश्त है। इसी प्रकार अप्रार्थी क्रम 1 भी खसरा संख्या 1800 की 0.23 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1828 की 1.36 हैक्टेयर, खसरा संख्या 503/1 की 0.76 हैक्टेयर, खसरा संख्या 550 की 0.26 हैक्टेयर, खसरा संख्या 551 की 0.01 हैक्टेयर ,खसरा संख्या 567 की 0.03 की हैक्टेयर, खसरा संख्या 903 की 0.35 हैक्टेयर कुल किता 7 रकबा 3.00 हैक्टेयर पर वर्तमान में खातेदार की हैसियत से मालिक,काबिज व काश्त है। इस प्रकार वर्तमान में प्रार्थीगण व अप्रार्थी क्रम 1 अपने अपने पृथक पृथक बराबर बराबर हिस्से पर मालिक,काबिज होकर पृथक पृथक काश्त करते चले आ रहे है ओर आराजीयात के वर्तमान स्वरूप के सम्बन्ध में पक्षकारान के मध्य किसी भी प्रकार का विवाद नही है ओर इस सम्बन्ध मे स्व0 श्री रामकिशन जी के स्वर्गवास के पश्चात उनके वारिसान के मध्य सम्पत्ति के विभाजन हेतु अप्रार्थी क्रम 2 के यहा आवेदन किये जाने पर वर्ष 2001 में नामान्तरण की कार्यवाही पुर्ण कि जाकर उपरोक्तनुसार पृथक पृथक आराजीयात दर्ज की गयी इस सम्ब्ध मे अप्रार्थी क्रम 2 का आदेश क्रमांक भू.अ./2001/3830 दिनांक 20.7.2001 व सहायक कलेक्टर महोदय कोटा/राजस्व 2001/517 दिनांक 13.3.2001 में इन्द्राज है इस सम्बन्ध मे नामान्तरण पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है उपरोक्त वर्णित आराजीयात को पृथक पृथक कर नक्शे मे दर्शाया गया है, जो उचित रूप से दर्शित है। तत्पश्चात कम्प्युटराईज सिस्टम द्वारा मौके की स्थिति के सम्बन्ध में प्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 503 की रकबा 1.19 हैक्टेयर व अप्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 503/1की रकबा 0.76 हैक्टे0 आराजी का गलत रूप से सीमांकन किया जाकर अनुचित रूप से नक्शे मे दर्शाया गया है जो पक्षकारान के मध्य आपस में आपसी सहमति से हुए विभाजन के बाद की स्थिति और तदनुसार दर्ज हुए नामान्तरण की कार्यवाही के पश्चात तैयार किये गये मानचित्र एवं मौके स्थिति से भिन्न है व प्रार्थीगण की आराजी कम दर्शित हो रही है। उपरोक्त त्रुटी कम्प्यूटराईज्ड लिपिकिय त्रुटी है जिसे दुरूस्त किया जाना अत्यन्त आवश्यक है प्राथथीगण द्वारा इस सम्बन्ध मे अप्रार्थी क्रम 2 यहा दिनांक 13.06.2025 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नक्शा रजिस्टर मे हुए इन्द्राज को दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया परन्तु प्रार्थी के निवेदन पर कोई कार्यवाही नही की गयी इस कारण से प्रार्थी को विवश होकर माननीय न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करना पड़ रहा है। अत:प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 503 की रकबा 1.19 हैक्टेयर व अप्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 503/1 की रकबा 0.76 हैक्टे० आराजी का गलत रूप से सीमांकन कर तैयार किये गये वर्तमान कम्प्युटराईज्ड मानचित्र को दुरूस्त किये जाने हेतु अप्रार्थी क्रम 2 को आदेश प्रदान करें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस प्रेषित किए गए। अप्रार्थी क्रम 1 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थीगण की ओर से आराजी खसरा संख्या 503 की रकबा 1.19 है0 व आराजी खसरा संख्या 503/1 की रकबा 0.76 है0 के बाबत् वर्तमान कम्प्यूटराईज्ड मानचित्र में गलत सिमाकंन में हुई गलती को दुरूस्त करने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें अप्रार्थी को कोई एतराज नहीं है तथा वह प्रार्थी के प्रार्थना पत्र से पूर्णरूप से सहमत है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

5

तहसीलदार लाडपुरा से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त की गई तहसीलदार लाडपुरा द्वारा अपनी रिपोर्ट में कथन किया है कि राजस्व नक्शे में ऑनलाईन की गई तरमीम का नक्शा है नजरी नक्शा माननीय न्यायालय ए0 सी0 एम0 कोर्ट कोटा के द्वारा पारित नर्णिय से दर्ज नामान्तरण सख्या 461 की पुस्त पर दर्ज नक्शा है।

बाद तहसील रिपोर्ट पत्रावली बहस वास्ते नियत की गई। दौरानें बहस उभयपक्ष उपस्थित। उभयपक्ष की ओर से उक्त आराजी में वर्तमान कब्जा एवं मौका अनुसार तरमीम किए जाने का निवेदन किया गया।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया। बहस पर गंभीरता पूर्वक मनन किया। प्रार्थीगण की ओर से कथन किया गया है कि कम्प्युटराईज सिस्टम द्वारा मौके की स्थिति के सम्बन्ध में प्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 503 की रकबा 1.19 हैक्टेयर व अप्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 503/1की रकबा 0.76 हैक्टे0 आराजी का गलत रूप से सीमांकन किया जाकर अनुचित रूप से नक्शे मे दर्शाया गया है जो पक्षकारान के मध्य आपस में आपसी सहमति से हुए विभाजन के बाद की स्थिति और तदनुसार दर्ज हुए नामान्तरण की कार्यवाही के पश्चात तैयार किये गये मानचित्र एवं मौके स्थिति से भिन्न है व प्रार्थीगण की आराजी कम दर्शित हो रही है। पटवारी रिपोर्ट के माध्यम से तहसीलदार लाडपुरा द्वारा आराजी खसरा नं0 503 एवं खसरा नं 503/1 के तीन प्रकार के नजरी नक्शा की स्थिति अंकित की है– 1. कब्जा अनुसार 2. वर्तमान राजस्व नक्शा में तरमीम अनुसार 3. माननीय न्यायालय ए0सी0एम कोटा ईजराय से दर्ज नामा0 परत पर दर्ज नजरी नक्शा। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा स्वयं उपस्थित होकर वर्तमान कब्जा अनुसार तरमीम किये जाने में सहमति व्यक्त की है। जिस कारण से प्रार्थीगण की ओर से किये गये कथनो की पुष्टि होती है कि प्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 503 की रकबा 1.19 हैक्टेयर व अप्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 503/1 की रकबा 0.76 हैक्टे० आराजी का गलत रूप से सीमांकन हो रखा है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार उक्त त्रुटि को दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः उपरोक्तानुसार प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131, 136 के तहत् स्वीकार कर तहसीलदार लाडपुरा को आदेशित किया जाता हैं कि ग्राम अरण्डखेड़ा तहसील लाडपुरा में स्थित भूमि खसरा संख्या 503 की रकबा 1.19 हैक्टेयर व खसरा संख्या 503/1 की रकबा 0.76 हैक्टे० की तरमीम वर्तमान कब्जे अनुसार कर राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में दर्ज रकबे अनुसार मापते हुये उक्त खसरा नम्बरान की सीमा का चिन्हीकरण मौके पर किया जावे।

उक्त निर्णय आज दिनाकः 15/4/26 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा
उपखण्ड अधिकारी
कोटा